फैक्स/सर्वोच्च प्राथमिकता/मा0 न्यायालय प्रकरण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश,

तिलक मार्ग, लखनऊ-226001 ।

संख्या:डीजी-परिपत्र-32/2015 दिनाँक:लखनऊ:मई 6, 2015

सेवा में,

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

विषय:-मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिकाओं की समीक्षा एवं निस्तारण के सम्बन्ध में।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व लखनऊ खण्डपीठ में योजित रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की स्थिति में सुधार लाने के सम्बन्ध में आपको इस मुख्यालय से लगातार निर्देशित किया गया है। इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 21.11.2013, 13.02.2014, 18.03.2014, 16.03.2015 एवं 25.04.2015 द्वारा लम्बित रिट याचिकाओं में प्रतिशपथपत्र दाखिल कराने एवं वेबसाइट (http://courtcases.up.nic.in) पर प्रतिशपथपत्र दाखिल करने के दिनांक को अपडेट करने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे।

शासन ने अपने पत्र संख्या-181/2014-15 गृह(पुलिस-13)दिनांक 30.04.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय में 7,677 रिट याचिकायें प्रतिशपथपत्र दाखिल किये जाने हेतु लम्बित है जिसमें से वर्ष 2014 एवं उससे पूर्व की 4,655 रिट याचिकायें हैं। लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में शासन द्वारा अत्यधिक अप्रसन्नता व्यक्त की है।

रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने एवं निस्तारण के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक, लो0शि0, उ0प्र0 एवं जनपद/इकाई स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी नामित है। इस मुख्यालय से लगातार निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी जनपद/इकाई स्तर पर इतनी अधिक संख्या में प्रकरणों का लम्बित रहना अत्यन्त खेदजनक है। ऐसा प्रतीत होता है कि नोडल अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में न तो कोई समीक्षा की जा रही है और न ही मुख्यालय के निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन किया जा रहा है, यह स्थिति आपत्तिजनक है।

जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं जनपद/इकाई के नोडल अधिकारी अनुश्रवण की कार्यवाही नियमित रूप करते हुए नियत समय सीमा में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराकर वेबसाइट पर अपडेट करायें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में वर्ष 2015 से पूर्व के प्रकरण वेबसाइट (http://courtcases.up.nic.in)पर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु लम्बित न हों।

मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में एवं शासन स्तर पर दूसरे सप्ताह में समीक्षा की जायेगी। अत: रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक अपने जनपदों की संकलित सूचना फैक्स द्वारा इस मुख्यालय को प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह

की 05 तारीख तक निम्न प्रारूप में पुलिस महानिरीक्षक, लो0शि0, उ0प्र0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। माह अप्रैल की सूचना 08.05.15 तक उपलब्ध करायें।

परिक्षेत्र	जनपद	वर्ष	लम्बित कुल(क्रिमिनल/सेवा सम्बन्धी व अन्य सभी) रिट याचिकाओं की संख्या			प्रतिशपथ पत्र दाखिल हेतु लम्बित रिट याचिकाओं की संख्या		
			मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद	मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ	कुल संख्या	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद	मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ	कुल संख्या
		2015 के पूर्व के लम्बित प्रकरण						
		2015						

आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु इस मुख्यालय से दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के दिनांक को वेबसाइड पर शीघ्र अपडेट कराने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें। मा0 न्यायालय में प्रतिशपथ दाखिल करने के कार्य मे शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाय।

(ए0के0 जैन)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण/रेलवे/ई0ओ0डब्लू0/तकनीकी सेवायें/दूरसंचार/यातायात/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन/उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/सीबीसीआईडी/ अभिसूचना/ विशेष जाँच/प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड/एस0आई0टी0/भ्र0नि0सं0/फायर सर्विस/पीएसी/विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता, उ0प्र0 को कृपया उपरोक्त सम्बन्ध में अपनी इकाई में आवश्यक कार्यवाही कराते हुए सूचना प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराने कष्ट करें।

2-श्री जावेद एहतेशाम, विशेष सचिव, गृह(पुलिस) अनुभाग-13, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ।